



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : प्रशा०/424 /2024 दिनांक : 09/08/2024

सेवा में,

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. मुख्य प्रानुशासक, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी/समन्वयक, आवासीय संस्थान।
4. प्रभारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
5. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध/संघटक महाविद्यालय।
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय: "हर घर तिरंगा" अभियान एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के आयोजन हेतु मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 03.08.2024 के कार्यवृत्त दिनांक 07.08.2024 में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या : 1961/सत्तर-3-2024 दिनांक 08.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से "हर घर तिरंगा" अभियान एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के आयोजन हेतु मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 03.08.2024 के कार्यवृत्त दिनांक 07.08.2024 में दिये गये दिशा-निर्देश प्राप्त हुये हैं।

उक्त के क्रम में समस्त से अनुरोध है कि "हर घर तिरंगा" अभियान एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के आयोजन हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
3. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
4. प्रो० बी०डी० शुक्ला, इतिहास विभाग।
5. उप कुलसचिव, प्रशासन।
6. विश्वविद्यालय, जनसम्पर्क अधिकारी।
7. प्रभारी-कुलपति सचिवालय/कैम्प कार्यालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
8. प्रभारी वेब-साइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।


कुलसचिव

प्रेषक,

एस०पी० मिश्र,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ०प्र०, प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उ०प्र०।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक।
5. अपर सचिव,
उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक ०४ अगस्त, 2024

विषय: "हर घर तिरंगा" अभियान एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के आयोजन हेतु मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 03.08.2024 के कार्यवृत्त दिनांक 07.08.2024 में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-290/2024/2268/4-2024, दिनांक 07.08.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दु पर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


(एस०पी० मिश्र)
उप सचिव।

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' एवं 'हर घर तिरंगा अभियान' की तैयारी बैठक का कार्यवृत्त

'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' एवं 'हर घर तिरंगा अभियान' की तैयारी हेतु दिनांक 03.08.2024 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये:-

- काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित महानाटक 'काकोरी गाथा' 45 से 60 मिनट की अवधि का तैयार किया जाये। नाटक के संवाद परिकल्पना एवं दृश्य आदि प्रभावी हों। इस हेतु विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जायें। दिनांक 31 अक्टूबर के कार्यक्रम में सरदार बल्लभ भाई पटेल के जीवन से संबंधित प्रेरणादायक कार्यक्रम कराया जाये।
- दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को काकोरी शहीदों के बलिदान दिवस पर गोरखपुर, गोण्डा, अयोध्या, प्रयागराज में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायें, क्योंकि ये स्थान काकोरी शहीदों के बलिदान से जुड़े हुए हैं।
- काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 08 अगस्त, 2024 को समस्त जनपदों में कार्यक्रम कराये जायें, जिसमें स्थानीय लोक कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाये। उनके द्वारा राष्ट्रभक्ति पर आधारित दो से तीन घण्टे की प्रस्तुति दी जायें।
- हर जनपद में 1-2 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायें जिसमें हर स्थल पर नौडल अधिकारी नामित हों। लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था किया जाये। कार्यक्रम के पहले मिलेट्री / थैरा मिलेट्री / एन0सी0सी0 / पुलिस / पी0ए0सी0 / स्कूल / कालेज के बैण्ड वादन की व्यवस्था की जाये जिसमें आधे घण्टे का कार्यक्रम रखा जाये। बैण्ड वादन के पूर्व उन्हें समुचित तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाये।
- दिनांक 09 अगस्त, 2024 को प्रत्येक जनपद में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का शुभारम्भ कार्यक्रम आयोजित किये जायें। काकोरी शहीद स्मारक, लखनऊ में आयोजित हो रहे मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण पूरे प्रदेश में किया जाये। समस्त जनपद स्तर के कार्यक्रमों में लखनऊ के मुख्य कार्यक्रम को वेब लिंक के माध्यम से सजीव प्रसारण किया जाये। इस कार्यक्रम के बाद समस्त जनपदों में एक घण्टे का पृथक से कार्यक्रम आयोजित किया जाये। इस कार्यक्रम के दौरान भूतपूर्व सैनिकों/ शहीद के परिवारीजनों को सम्मानित किया जाये तथा उन्हें लोगो/ स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किय जाये। लखनऊ एवं शाहजहांपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों के परिवारों को सम्मानित किया जाये।
- प्रदेश के समस्त शहीद स्मारकों, शहीद स्थलों, अमृत सरोवरों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये। दिनांक 09 अगस्त, 2024 को प्रातः बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सभी बोर्डों के विद्यार्थियों की प्रभात फेरी निकाली जायें, जिसमें बच्चों राष्ट्रभक्ति से संबंधित नारे लिखी तख्तियां लिये हुए हों और राष्ट्रभक्ति गीतों को गाया जाये/बजाया जाये। प्रभात फेरी के समापन पर शिक्षकों द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन का वृत्तान्त बच्चों को सुनाया जाये एवं मिष्ठान का वितरण किया जाये।
- दिनांक 14 अगस्त, 2024 को 'विभाजन विभीषिका दिवस' का आयोजन किया जाये।
- दिनांक 15 अगस्त, 2024 को स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाये। इस अवसर पर जिले में विभिन्न विधाओं से संबंधित सर्वोच्च लोगों को सम्मानित किया जाये एवं उनको काकोरी स्मारक का भ्रमण भी कराया जाये।
- दिनांक 09 अगस्त से 15 अगस्त, 2024 तक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली जाये। सभी कार्यक्रम एक ही दिन न हो कर अलग-अलग दिवसों में अलग-अलग प्रकृति के कार्यक्रम आयोजित किये जायें। उक्त के पश्चात् वर्ष भर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किये जाये।
- इस अवसर पर शहीद स्मारकों पर पुष्पांजलि एवं पुलिस/पी0एस0सी0/होमगार्ड/अर्द्धसैनिक/सैनिक बलों के बैण्ड का वादन हो। यदि उस जनपद में उक्त बैण्ड उपलब्ध न हो तो एन0सी0सी0/विद्यालयों के बैण्ड की प्रस्तुति की जाये।
- लखनऊ एवं शाहजहांपुर में आयोजित हो रहे शहीद मेले में उत्तर प्रदेश में निर्मित उत्पादों की ही बिक्री की जाये। विदेशी उत्पादों की बिक्री नहीं की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक 7/10/24

क्रि.प्र. (स.प्र.)

08/24
(ओरपी0 चौधरी)
निजी निम्न.
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

2056/VS/2024
50-3

3
8-8-24

(सि.प्र. शासक)
निजी सचिव,
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ.प्र. शासन।

लखनऊ एवं शाहजहांपुर में आयोजित होने वाले शहीद मेले में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाये जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को विद्यालयों के माध्यम से क्रमानुसार विभिन्न तिथियों में भ्रमण हेतु लाया जाये। बच्चों के आने- जाने की निःशुल्क व्यवस्था कराई जाये तथा खाने एवं पानी की व्यवस्था विद्यालय स्वयं कराये।

16. रक्तदान शिविर काकोरी ट्रेन एक्शन की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाये।
17. इस अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाये जिसमें अनिवार्य रूप से राष्ट्रभक्ति की कविताओं का ही पाठ हो।
18. दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक 'हर घर तिरंगा अभियान' का आयोजन किया जाये इस हेतु नागरिकों को झण्डा खरीदने के लिये प्रेरित किया जाये। विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के सहयोग से झण्डा वितरण कराया जाये। झण्डे की दर रियायती रखा जाये। झण्डों का विक्रय दिनांक 09.08.2024 से ही प्रारम्भ कर दिया जाये। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस/ पी0ए0सी/ मिलेट्री/ पैरा मिलेट्री/ एन0सी0सी / स्कूल बैण्ड वादन किया जाये।
19. विभिन्न विभाग 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं पर हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषा में निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करें। निबन्ध अधिकतम 1000 शब्दों का हो।

विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही -

बेसिक शिक्षा विभाग-

- बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया जाये जो लगभग आधे किमी० की हो।
- प्रभात फेरी के पश्चात् बच्चों को डेढ़ से दो पेज का आलेख पढ़कर सुनाया जाये एवं उसके पश्चात् मिष्ठान वितरण किया जाये।
- बच्चों की सुलेख प्रतियोगिता भी कराई जाये।

माध्यमिक शिक्षा विभाग-

- सभी बोर्ड - यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई एवं संस्कृत विद्यालयों में निबन्ध, वाद-विवाद प्रतियोगितायें आयोजित की जाये।
- प्रत्येक तिथि पर अलग- अलग कार्यक्रम का आयोजन हो।
- पहले चरण में जनपद स्तर पर इंटरमीडिएट कॉलेज में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये जिसमें काकोरी एक्शन प्लान क्या था और देश की आजादी में उसका क्या योगदान था, आदि से संबंधित विषय रखा जाये।
- 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम पर सरल भाषा में छोटी पुस्तिका प्रकाशित कर समस्त विद्यालयों में वितरित कराये। उक्त पुस्तिका में संचित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जानकारी के आधार पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाये। प्रथम चरण में जनपद स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन हो, जिनके विजेताओं को दिनांक 15 अगस्त, 2024 के कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाये। द्वितीय चरण राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन हो, जिनके विजेताओं को आगामी उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाये।

इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाये जिसमें विभिन्न जनपदों में शहीद एवं वीरगणनाओं के चित्र से संबंधित विषय रखे जायें।

उच्च शिक्षा विभाग-

- वाद-विवाद एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित किया जाये जिसमें विषय पहले से निर्धारित हो।

तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग-

- काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान एवं 1857 की लड़ाई से संबंधित घटनाओं का प्रदर्शन नई तकनीकी के आधार पर किया जाय।

चिकित्सा शिक्षा विभाग-

- विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाये।

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नगर विकास विभाग-

- नगरीय क्षेत्रों में विशेष रूप से शहीद स्मारकों, शहीद स्थलों, के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाये एवं उपरोक्त समस्त कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से कराये जाये।

पंचायती राज विभाग-

- समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से शहीद स्मारकों, शहीद स्थलों, के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाये एवं उपरोक्त समस्त कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से कराये जाये।
- 15 अगस्त पर अमृत सरोवर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाये और जहां अमृत सरोवर नहीं है, वहां पंचायत सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

अल्पसंख्यक विभाग-

- इस अवसर पर प्रदेश के सभी मदरसों में तिरंगा ध्वज फहराया जाये एवं राष्ट्रगान का गायन हो।

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग-

- विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रमों की अभी से तैयारी प्रारम्भ की जाये।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग-

- काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस दिनांक 09 अगस्त, 2024 को नागपंचमी की तिथि है। इस अवसर पर प्रायः सभी ग्रामों में दंगल आदि का आयोजन होता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग इन खेलकूद आयोजनों को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव शुभारम्भ कार्यक्रमों से जोड़ कर कराया जाये। युवा/ महिला मंगल दल को भी आयोजन के साथ जोड़ा जाये।

कृषि शिक्षा विभाग-

- कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कृषकों को कृषि चर्चा पर आमंत्रित किया जाये।
- किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किसानों को झण्डा खरीदने के लिये प्रेरित किया जाये।
- मंडी समितियों में स्वच्छता अभियान चलाया जाये।
- राष्ट्रभक्ति के गीत बजाये जायें।
- नगर विकास विभाग की भांति डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायें।

गृह विभाग-

- गृह विभाग सुनिश्चित करे कि दिनांक 09, 14 एवं 15 अगस्त, 2024 को समस्त शहीद स्मारकों, शहीद स्थलों पर पुलिस/पीएस0सी0/होमगार्ड/अर्द्धसैनिक/सैनिक बलों के बैण्ड का वादन हो। यदि उस जनपद में उक्त बैण्ड उपलब्ध न हों तो एन0सी0सी0/विद्यालयों के बैण्ड की प्रस्तुति की जाये। इस हेतु बैण्ड वादकों का पूर्वाभ्यास अभी से प्रारम्भ कर दिया जाये।
- 20. समस्त संबंधित मा0 मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके गरिमापूर्ण आयोजन हेतु निर्देशित करें।
- 21. मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक जनपद स्तरीय अधिकारीगण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा करें, जिससे दोनों कार्यक्रम भव्यता के साथ सम्पन्न हों।
- 22. समस्त कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आयोजित हों एवं सेल्फी अपलोड करने की व्यवस्था की जाये। अच्छे सेल्फी को पुरस्कृत करने की व्यवस्था की जाये।
- 23. दिनांक 09 अगस्त को अलग- अलग जनपदों में मा0 केन्द्रीय मंत्रीगण, मा0 मंत्री गण, जनपद के वरिष्ठ मा0 प्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे। अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या: 290 / 2024/ 2268 /चार-2024
लखनऊ दिनांक 07 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, समस्त संबंधित मा0 मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र कुमार
विशेष सचिव

<https://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।